रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 186] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 1977/आश्विन 1, 1899
No. 186] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 1977/ASVINA 1, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

RESOLUTION

New Delhi, the 23rd September, 1977

No. L-56011/4/77-DK.I(B).—In pursuance of a recommendation of the Tripartite Labour Conference held on the 6th-7th May 1977, the Government of India have decided to set up a Committee on Workers' Participation in Management and Equity consisting of the following persons.

Chairman

Shri Ravindra Varma, Minister of Labour and Parliamentary Affairs

Members

1. Shri P V Bhatt, Labour Secretary, Gujarat
2. Shri V Krishnamurthy, Labour Commissioner, Kerala
3. Shri C D. Khanna, Labour Commissioner, Punjab
4. Shri R N Srivastava, Central Public Sector.
5. Shri R. C Gupta, Central Public Sector
6. Shri R O. Bhandari, Employers' Federation of India
7. Shri R H. Mody, All India Organisation of Employers
8. Shri K G. Khosla, (Alternate—Shri K V Sreenivasan), All India Manufacturers' Organisation.
9. Shri K P Tripathi, Indian National Trade Union Congress
10. Shri Y. D. Sharma, All India Trade Union Congress
11. Shri Ram Desai, Hind Mazdoor Sabha
12. Shri N Sreekantan Nair, M P., United Trades Union Congress

13. Shri P. K Kurane, Centre of Indian Trade Unions.
14 Shri N C. Ganguli, Bhartiya Mazdoor Sangh
15. Shri R. M Shukla, National Labour Organisation
16. Professor Nitish R De.
17. Dr S Chandra, Administrative Staff College, Hyderabad.
18 Dr. Krishan C. Sethi, Indian Institute of Management, Calcutta.

2 The secretariat will be provided by the Ministry of Labour.

3 The terms of reference of the Committee will be as follows·

3 2 Recognising the need for the participation of workers at different levels of management in industrial establishments/undertakings, to consider and recommend an outline of a comprehensive scheme of such participation, specially keeping in view the interests of the national economy, efficient management and workers

3 3 1. The Committee will in particular consider and recommend:—

3 3 2. Whether there should be a statutory scheme for workers' participation in management which should replace the existing statutory works committee and any other similar committee functioning in a plant/unit;

3.3 3. Whether the proposed scheme should cover in addition to management at shop and plant levels, the higher levels of management also e g. the Board of Directors;

3 3 4. Whether the proposed scheme should be applied to all types of industrial establishments/undertakings or only to some specified categories of such establishments/undertakings employing a prescribed number of employees, if so, what should be the criteria in this regard;

3 3 5 To what extent, and in what manner, can the concept of trusteeship in industry be given a practical shape in the proposed scheme of workers' participation;

3.3 6 Whether and to what extent and in what manner participation by workers in the equity holdings of industrial establishments/undertakings should be encouraged or provided for,

3 3.7 Whether there should be a special machinery for ensuring implementation of the scheme at Central/State level and for evaluating their working; if so, what should be the nature of such a machinery

4. The Committee will submit its report within a period of two months

5 The Committee will devise its own procedure and may call for such information and take such evidence as it may consider necessary

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Part I, Section 1

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all others concerned.

D BANDYOPADHYAY, Jt Secy

श्रम मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 23 सितम्बर 1977

संख्या-एल० 56011/4/77-डी०के० 1(बी).—6–7 मई 1977 को हुए त्रिपक्षीय श्रम, सम्मेलन की सिफारिश के अनुसरण में, भारत सरकार ने मैनेजमेंट तथा ईक्विटी में श्रमिक

सहभागिता संबंधी समिति गठित करने का निर्णय किया है, जिसमे निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :–

अध्यक्ष

1. श्री रवीद्र वर्मा, श्रम और ससदीय कार्य मत्री

सदस्य

1. श्री पी०वी० भट्ट, श्रम सचिव, गुजरात ।
2. श्री वी० कृष्णामूर्ति, श्रम आयुक्त, केरल ।
3. श्री सी०डी० खन्ना, श्रम आयुक्त, पंजाब ।
4. श्री आर० एन० श्रीवास्तव, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र ।
5. श्री आर० सी० गुप्त, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र ।
6. श्री आर०ओ० भंडारी, भारतीय नियोजक महासंघ ।
7. श्री आर० एच० मोदी, अखिल भारतीय नियोजक संगठन ।
8. श्री के०जी० खोसला (एवजी–श्री के०वी० श्रीनिवासन) अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन ।
9. श्री के० पी० त्रिपाठी, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ।
10. श्री वाई०डी० शर्मा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।
11. श्री राम देसाई, हिन्द मजदूर सभा ।
12. श्री एन० श्रीकान्तन नैयर, ससद सदस्य, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।
13. श्री पी० के० कुराने, सेन्टर आफ इडियन ट्रेड यूनियन्स ।
14. श्री एन०सी० गगोली, भारतीय मजदूर सघ ।
15. श्री आर० एम० शुक्ल, नेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन ।
16. प्रोफेसर नितीश आर डे ।
17. डा० एस० चन्द्रा, प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद ।
18. डा० कृष्ण सी० सेठी, भारतीय प्रबन्ध सस्थान, कलकत्ता ।

2. सचिवालय की व्यवस्था श्रम मत्रालय द्वारा की जाएगी ।

3 1. इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे ।

3.2. औद्योगिक प्रतिष्ठानो/उपक्रमो मे प्रबन्ध के विभिन्न स्तरो पर श्रमिको की सहभागिता की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए इस प्रकार की सहभागिता की व्यापक योजना की रूप रेखा के संबध मे विचार तथा सिफारिश करना, जिसमे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था, कुशल प्रबन्ध तथा श्रमिको के हितो का विशेष ध्यान रखा गया हो ।

3.3.1. यह समिति निम्नलिखित बातो के सम्बन्ध मे विचार तथा सिफारिश करेगी :–

3 3 2. क्या प्रबन्ध मे श्रमिको की सहभागिता की कोई सांविधिक योजना होनी

चाहिए जो किसी प्लांट/यूनिट मे कार्य कर रही वर्तमान सांविधिक मालिक-मजदूर समिति या ऐसी ही किसी अन्य समिति का स्थान ले सके ,

3.3.3. क्या प्रस्तावित योजना शॉप और प्लाट स्तरो पर प्रबंध के अतिरिक्त प्रबन्ध के उच्चतर स्तरों जैसे निदेशक बोर्ड पर भी लागू होनी चाहिए ;

3.3.4. क्या प्रस्तावित योजना सभी प्रकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानो/उपक्रमो पर लागू की जानी चाहिए या ऐसे प्रतिष्ठानो/उपक्रमो के कुछ विशिष्ट वर्गों पर ही, जिनमे निर्धारित संख्या मे कर्मचारी नियोजित हों। यदि हां, तो इस संबध मे क्या मापदंड होना चाहिए ;

3.3 5. श्रमिकों की सहभागिता की प्रस्तावित योजना मे उद्योग मे न्यासिता के सिद्धांत को किस सीमा तक तथा किस ढंग से व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है ;

3.3.6. क्या, और किस सीमा तक तथा किस तरीके से औद्योगिक प्रतिष्ठानों/ उपक्रमों की इक्विटी होल्डिंग्ज मे श्रमिकों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए ;

3.3.7. क्या इस योजना का केन्द्रीय/राज्य स्तर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा उसके संचालन का मूल्यांकन करने के लिए कोई विशिष्ट तंत्र होना चाहिए। यदि हां, तो इस प्रकार के तंत्र का स्वरूप क्या होना चाहिए।

4. यह समिति अपनी रिपोर्ट दो महीने के अंदर प्रस्तुत करेगी।

5. यह समिति अपनी प्रक्रिया स्वय निश्चित करेगी और ऐसी सूचना मंगा सकती है तथा ऐसी गवाही ले सकती है जिसे यह आवश्यक समझे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह सकल्प भारत के राजपत्र, भाग 1, खंड 1 मे प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति भारत सरकार के सभी मत्रालयो/विभागो, राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रो के प्रशासनों तथा अन्य सभी सबधितों को भेजी जाए।

डी० बन्दयोपाध्याय, सयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977